CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-8

पश्चिमी घाट पर 'कस्तूरीरंगन समिति' रिपोर्ट

हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्र सरकार को, राज्य द्वारा 'पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट' (Kasturirangan Committee report on Western Ghats) का विरोध किए जाने के बारे में सूचित किया।

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है, कि पश्चिमी घाट को 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' घोषित किए जाने से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- हालांकि, विशेषज्ञों ने राज्य के विरोध को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट के लिए विनाशकारी बताया।

'गाडगिल कमेटी' की रिपोर्ट:

'गाडगिल कमेटी' (Gadgil Committee) ने 'पारिस्थितिक प्रबंधन उद्देश्यों' के लिए पश्चिमी घाट की सीमाओं को परिभाषित किया है।

- इस समिति ने, इस पूरे क्षेत्र को 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (Ecologically Sensitive Area – ESA) घोषित किए जाने की सिफारिश की है।
- इस क्षेत्र के भीतर, छोटे क्षेत्रों को उनकी मौजूदा स्थिति और खतरे की प्रकृति के आधार पर, 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र I, II या III (ESZ I, ESZ II या ESZ III) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।
- 'गाडगिल कमेटी' ने इस क्षेत्र को लगभग 2,200 ग्रिडों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया, जिनमें से 75 प्रतिशत क्षेत्र को ESZ I या ESZ II अथवा पहले से मौजूद संरक्षित क्षेत्रों, जैसे वन्यजीव अभयारण्यों या प्राकृतिक पार्कों के अंतर्गत रखे जाने की सिफारिश की थी।
- समिति ने इस क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने हेतु एक 'पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण' गठित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा है।

कस्तूरीरंगन समिति का गठन किए जाने का कारण:

'गाडगिल समिति' ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2011 में प्रस्तुत की थी, और पश्चिमी घाटों से लगे हुए सभी छह राज्यों में से कोई भी राज्य 'गाडगिल समिति' की सिफारिशों से सहमत नहीं था।

- अगस्त 2012 में, तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य संबंधित इकाइयों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आलोक में "समग्र और बहु-विषयक रीति" में गाडगिल समिति की रिपोर्ट की "जांच" करने के लिए 'कस्तूरीरंगन' की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पर एक उच्च-स्तरीय कार्य समूह का गठन किया था।
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के सिर्फ 37% क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) क्षेत्रों के अंतर्गत लाने का सुझाव दिया गया है, जोकि 'गाडगिल रिपोर्ट' में ESA के तहत 64% क्षेत्र को लाए जाने संबंधी सुझाव से काफी कम है।

कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशें:

- पश्चिमी घाट क्षेत्र में खनन, उत्खनन और बालू खनन पर प्रतिबंध।
- कोई नई ताप विद्युत परियोजनाएं नहीं, किंतु पनबिजली परियोजनाओं को प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जा सकती है।
- नए प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध।
- 20,000 वर्ग मीटर तक के भवन और निर्माण परियोजनाओं की अनुमति दिए जाने, किंतु 'टाउनशिप' परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गयी है।
- अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ वन-भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-8

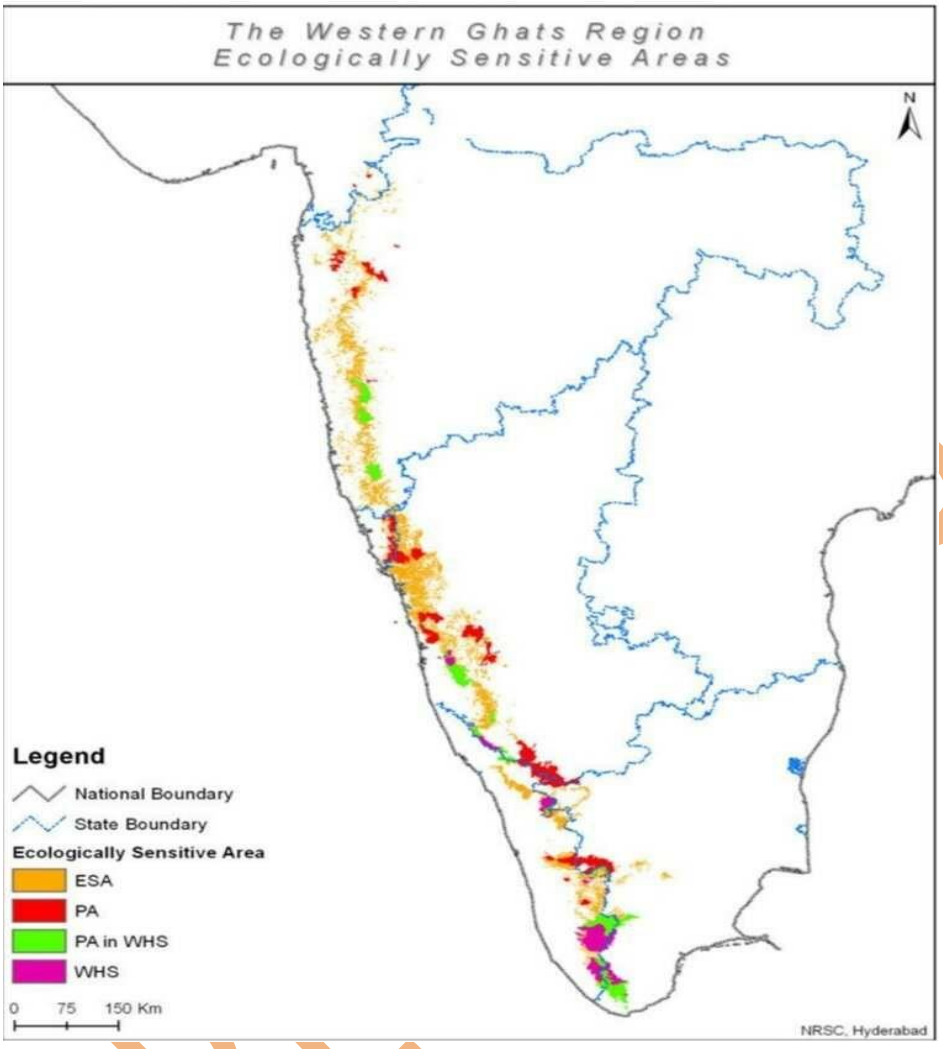

पश्चिमी घाट का महत्व:

- पश्चिमी घाट (Western Ghats), छह राज्यों में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। यह कई लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का वास-स्थल है। साथ ही यह क्षेत्र, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है।
- यह विश्व में जैविक विविधता के आठ "सबसे गर्म हॉट-स्पॉट्स" में से एक है।
- यूनेस्को के अनुसार, पश्चिमी घाट, हिमालय से भी प्राचीन हैं। ये ग्रीष्मकाल के अंतिम समय में दक्षिण-पश्चिम से आने वाली 'बारिश से भरी मानसूनी हवाओं' को रोककर भारतीय मानसून के मौसम-प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं।

विश्व असमानता रिपोर्ट

हाल ही में, 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' (World Inequality Report, 2022) जारी की गई है।

विश्व असमानता रिपोर्ट (WIR) के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- यह रिपोर्ट 'पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' के एक शोध केंद्र 'वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब' द्वारा जारी की गई है।
- 'विश्व असमानता रिपोर्ट' में किसी देश (और विश्व) में आय और धन के वितरण के बारे में जानने हेतु विभिन्न प्रकार के वित्तीय डेटा का अध्ययन किया जाता है।

इस रिपोर्ट का महत्व- असमानताओं पर अध्ययन की आवश्यकता:

इस रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिकांश लोकतंत्रों में, धनी व्यक्ति अपनी

आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं और ऐसा करते भी हैं। और इसलिए, जिस देश में असमानता जितनी अधिक होगी, वहां इस बात की उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आर्थिक रूप से संपन्न अल्पसंख्यक, देश के बहुसंख्यकों के भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं।

असमानता स्तरों के बारे में सटीक डेटा की उपलब्धता, असमानता कम करने में सक्षम नीतिगत उपायों के पक्ष में जनमत तैयार करने में सहायक हो सकते हैं।

विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 के प्रमुख निष्कर्ष:

- राष्ट्रीय आय में भागीदारी के संदर्भ में अमीर और गरीब के बीच का अंतर काफी बड़ा है, और सरकारी नीतियों के समृद्ध अभिजात वर्ग के पक्ष में होने के परिणामस्वरूप इस अंतर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वैश्विक आबादी के 10 प्रतिशत सबसे अमीर आबादी के पास वैश्विक आय का 52% हिस्सा है, जबकि सबसे गरीब 50% आबादी को इसका मात्र 5% भाग प्राप्त होता है।
- वैश्विक संपत्ति असमानता, आय असमानता से भी बदतर हैं। सबसे गरीब 50% आबादी के पास वैश्विक संपत्ति का मात्र 2% है, जबकि सबसे अमीर 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% भाग है।
- देशों के बीच असमानता में कमी कम हो रही है, जबकि देशों के भीतर असमानता बढ़ती जा रही है। सबसे अमीर 10% देशों की औसत आय और सबसे गरीब 50% देशों की औसत आय के बीच का अंतर 50 गुणा से घटकर 40 गुणा से भी कम हो गया है। देशों के भीतर शीर्ष 10% व्यक्तियों और निचले 50% व्यक्तियों की औसत आय के बीच का अंतर लगभग दोगुना (5 गुणा से 15 गुणा) हो गया है।
- **देश अमीर होते जा रहे हैं, किंतु सरकारें गरीब होती जा रही हैं**: राष्ट्रीय संपत्ति में निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का हिस्सा बढ़ रहा है, जबकि सार्वजनिक परिसंपत्तियों (भवन, विश्वविद्यालय, सड़क, अस्पताल आदि) का हिस्सा कम होता जा रहा है।

महाद्वीपों के मध्य असमानता:

रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप सबसे कम असमानता वाला महाद्वीप है, और यहाँ शीर्ष 10% आबादी का आय में 36% हिस्सा है। 'मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका' (Middle East and North Africa – MENA) में सर्वाधिक असमानता देखी गयी है, यहाँ शीर्ष 10% आबादी का आय में 58 प्रतिशत हिस्सा है।

भारत में आय असमानता:

- भारत विशव के सबसे असमान देशों में से एक है, और यहाँ शीर्ष 1% आबादी का राष्ट्रीय आय में 7% हिस्सा है।
- शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों का राष्ट्रीय आय में 57% हिस्सा है, जबकि निचले स्तर की 50% आबादी का मात्र 13% हिस्सा है।
- निचले स्तर की 50% आबादी की औसत राष्ट्रीय आय ₹53,610 है, जबकि शीर्ष 10% आबादी की आय इससे 20 गुना अधिक, अर्थात ₹11,66,520 है।

भारत में असमानता- 1947 से पहले और बाद में:

भारत में वर्तमान 'आय असमानता' ब्रिटिश शासन-काल के मुकाबले बदतर है। अंग्रेजी शासन (1858-1947) के दौरान, भारत में शीर्ष 10% आबादी का राष्ट्रीय आय में लगभग 50% (वर्तमान के 57% से कम) हिस्सा था।

- भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद के दशकों में, समाजवादी आर्थिक नीतियों ने आय असमानता को कम किया, जिससे शीर्ष 10% आबादी की हिस्सेदारी 35-40% हो गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, 1980 के दशक से, "विनियमन और उदारीकरण नीतियों की वजह

CAREER PLUS

से विश्व में आय और धन असमानता में सबसे अधिक वृद्धि देखी गयी है।"

रिपोर्ट के समग्र निष्कर्ष:

रिपोर्ट में इस तथत को उजागर किया गया है कि असमानता और गरीबी अपरिहार्य या निश्चित नहीं होती है, बल्कि मुख्य रूप से यह नीतिगत निर्णयों का नतीजा होती हैं।

- रिपोर्ट में, 1980 के दशक के बाद से – पिछले तीन दशकों के विपरीत -विभिन्न देशों में लागू किए गए उदारीकरण कार्यक्रमों के बाद, दुनिया भर में असमानताओं के बढ़ने संबंधी करणों का पता लगाया गया है।
- विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 में, नीतिगत उपायों के रूप में अत्याधिक धनवान (सुपर-रिच) पर संपत्ति कर लगाने तथा, एक सशक्त पुनर्वितरण व्यवस्था, जो यदि बढ़ती असमानता की मौजूदा प्रवृत्ति को उलट नहीं सके तो कम से कम इसे रोकने में सक्षम हो, तैयार करने की सिफारिश की गयी है।

पेप्सिको पेटेंट विवाद

हाल ही में, 'पादप प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' (Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority – PPV&FRA) द्वारा विभिन्न आधारों पर आलू की किस्म (FL-2027) पर पेप्सिको इंडिया होल्डिंग (PIH) को दिए गए 'पादप प्रजाति (किस्म) सुरक्षा' (Plant Variety Protection – PVP) प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है।

इसमें निम्नलिखित आधार शामिल थे:

- आवेदक द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।
- प्रमाणपत्र एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जो सुरक्षा के लिए पात्र नहीं था।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र का जारी किया जाना, जनहित में नहीं था।

संबंधित प्रकरण:

वर्ष 2019 में, पेप्सिको ने गुजरात के कुछ भारतीय किसानों पर FC5 आलू की किस्म की खेती किए जाने पर मुकदमा दायर किया था। आलू की इस किस्म में 'चिप्स' जैसे स्नैक्स बनाने के लिए नमी की मात्रा कम होती है।

- उसी साल न्यूयॉर्क स्थित कंपनी ने सभी मुकदमों को वापस ले लिया और कहा कि वह इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती है।
- बाद में, एक किसान अधिकार कार्यकर्ता 'कविता कुरुगंती' ने पेप्सिको की FC5 आलू किस्म को दी गई 'बौद्धिक सुरक्षा' (Intellectual Protection) को रद्द करने के लिए 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स' प्राधिकरण / 'PPVFR प्राधिकरण' में याचिका दायर की और कहा कि भारतीय क़ानून के अनुसार, 'बीज' की किस्मों पर पेटेंट दिए जाने की अनुमति नहीं हैं।

कृपया ध्यान दें कि 'पादप प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण' (PPV&FR) अधिनियम, 2001 की धारा 39 में विशेष रूप से कहा गया है, कि किसी भी किसान को किसी भी किस्म की फसल या यहां तक कि बीज को तब तक उगाने और बेचने की अनुमति है, जब तक कि वे पंजीकृत प्रजाति के ब्रांडेड बीज बेचने का कार्य नहीं करते हैं।

'पादप प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण' (PPV&FR) अधिनियम, 2001:

'पादप प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण (PPV&FR) अधिनियम, 2001 (Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (PPV&FR) Act, 2001), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में 'सुई जेनेरिस प्रणाली' (sui generis system) को अपनाते हुए अधिनियमित किया गया था।

- यह अधिनियम, पौधों की नई किस्मों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for the Protection of New Varieties of Plants – UPOV), 1978 के अनुरूप है।

CAREER PLUS

- अधिनियम में, पादप प्रजनन गतिविधियों में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और किसानों, दोनों के योगदान को मान्यता प्रदान की गयी है, और साथ ही इसमें सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हितों का समर्थन करते हुए 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं' (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) को लागू करने का प्रावधान किया गया है।

PPV & FR अधिनियम, 2001 के उद्देश्य:

- पौधों की किस्मों, किसानों और पौध प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उनके संरक्षण व सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के सन्दर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में कृषि विकास में तेजी लाने के लिए, पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना; पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना।
- देश में बीज उद्योग के विकास को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

अधिनियम के तहत अधिकार:

पादप-प्रजाति प्रजननकों के अधिकार (BREEDERS' RIGHTS): पादप-प्रजाति प्रजननकों (ब्रीडर्स) के लिए संरक्षित पादप प्रजाति को पैदा करने, बेचने, बाजार में पहुँचाने, वितरित करने और आयात-निर्यात करने का विशिष्ट अधिकार होगा। यदि इनके अधिकार का हनन होता है तो वे इसके लिए कानून की शरण ले सकते हैं। प्रजनन प्रजाति प्रजनक अपना एजेंट और लाइसेंसधारी भी नियुक्त कर सकते हैं।

अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार (RESEARCHERS' RIGHTS): अधिनियम के अंतर्गत, अनुसंधानकर्ता शोध करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म का प्रयोग या उपयोग कर सकता है। अनुसंधानकर्ता, कोई नई प्रजाति विकसित करने के उद्देश्य से, किसी प्रजाति को 'प्रजाति के मूल स्रोत' के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, किंतु उस प्रजाति का बार-बार प्रयोग करने के लिए 'पंजीकृत प्रजननक' से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

किसानों के अधिकार:

1. किसी नई प्रजाति को विकसित करने वाला किसान, प्रजाति निर्माता कंपनियों की भाँति उस प्रजाति 'किस्म' के प्रजनक के रूप में पंजीकरण और संरक्षण का हकदार है;
2. किसान द्वारा उत्पादित नई प्रजाति को एक वर्तमान प्रजाति (extant variety) के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है;
3. पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के तहत, किसान संरक्षित किस्म के बीज सहित अपनी कृषि उपज को उसी तरह से सहेज सकता है, उपयोग कर सकता है, बो सकता है, फिर से बो सकता है, आदान-प्रदान कर सकता है या बेच सकता है, जिस तरह से वह इस क़ानून के लागू होने से पहले हकदार था; परन्तु अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किसी ब्रांडेड बीज की प्रजाति को किसान नहीं बेच सकेगा;
4. खेतों में उपजाए गये पादपों के आनुवंशिक संसाधनों (Plant Genetic Resources) तथा नकदी फसलों के वन्य प्रकारों के संरक्षण के लिए किसान समुचित सम्मान और पुरस्कार पाने के अधिकारी होंगे;
5. अधिनियम के अनुभाग 39(2) के अनुसार, यदि किसान द्वारा तैयार की गई नई पादप-प्रजाति ठीक से फलदायी नहीं होती तो उसे इसके लिए क्षतिपूर्ति मिल सकती है;

CAREER PLUS

6. अधिनियम के तहत प्राधिकरण या रजिस्ट्रार या ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए किसान को किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

संविधान सभा की पहली बैठक के 75 वर्ष

भारत की संविधान सभा (Constituent Assembly) की पहली बैठक 75 साल पहले 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में, भारत के अलग-अलग हिस्सों, भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों और यहां तक कि अलग-अलग विचारधाराओं के प्रतिष्ठित व्यक्ति, भारत के लोगों के लिए एक उपयुक्त संविधान प्रदान करने के उद्देश्य से एक साथ एकत्र हुए थे।

भारत की संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

1. संविधान सभा का विचार, पहली बार 'एम एन रॉय' द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
2. वर्ष 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के लिए एक संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा की मांग की गयी थी।
3. वर्ष 1938 में, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के संबंध में जोरदार वक्तव्य देते हुए कहा – 'स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए'
4. संविधान सभा की मांग को पहली बार ब्रिटिश शासन द्वारा 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के माध्यम से स्वीकार किया गया था।
5. अंततः, 'कैबिनेट मिशन योजना' के प्रावधानों के तहत, वर्ष 1946 में एक 'संविधान सभा' गठित की गई।

संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

- संविधान सभा में कुल सदस्य: 389
- ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटों और देशी रियासतों को 93 सीटों का आवंटन
- ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गयी 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन गवर्नर-शासित प्रांतों ग्यारह प्रांतों से और चार सदस्यों का चयन 'मुख्य आयुक्त'-शासित प्रांतों से किया जाना था।
- सीटों का आवंटन, संबंधित प्रांतों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया था।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों- मुस्लिम, सिख व सामान्य – के बीच किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक तरीके से मतदान किया जाना था।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन इन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

संविधान सभा की संरचना के संबंध में संक्षिप्त अवलोकन:

- संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी।
- सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था।
- यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के व्यस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, तथापि इसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया।
- संविधान सभा द्वारा दो साल, 11 महीने और 18 दिनों की अवधि में 11 सत्र आयोजित किए गए।
- संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था।

संविधान सभा द्वारा नयी विधायिका के गठन होने तक 'अस्थायी विधायिका' के रूप में कार्य किया किया गया। इस दौरान संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार थे:

1. मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन।

2. इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
3. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
4. 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
5. 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ राजेंद्र प्रसाद को चुना।

संविधान सभा की आलोचना:

1. संविधान सभा, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किए गए थे।
2. यह एक 'संप्रभु निकाय' नहीं था क्योंकि यह ब्रिटिश आदेश के आधार पर गठित की गयी थी।
3. संविधान का निर्माण करने में अनावश्यक रूप से लंबा समय लगा।
4. इसके सदस्यों में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था।
5. इसमें वकील-राजनेताओं का प्रभुत्व काफी अधिक था।
6. इसमें मुख्य रूप से हिंदुओं का वर्चस्व था।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची

लद्दाख में विभिन्न नागरिक समाज समूहों द्वारा 'लद्दाख' को संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule of the Constitution) के अंतर्गत शामिल करने की मांग की जा रही है।

'लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद' (Ladakh Autonomous Hill Development Council – LAHDC) वर्तमान स्वरूप में आदिवासी हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसके पास भूमि, नौकरी और संस्कृति जैसे विषयों पर कानून बनाने या नियम बनाने की शक्ति नहीं थी। इसे देखते हुए नागरिक समुदायों द्वारा छठी अनुसूची की मांग शुरू की गयी है।

आवश्यकता:

1. लद्दाख की लगभग 90% से अधिक आबादी आदिवासी है। बलती (Balti), बेडा (Beda), बोट (Bot) या बोटो (Boto), ब्रोकपा (Brokpa), ड्रोकपा (Drokpa), डार्ड (Dard), शिन (Shin), चांगपा (Changpa), गर्रा (Garra), मोन (Mon) और पुरीगपा (Purigpa) लद्दाख की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं।
2. इसलिए, लद्दाख क्षेत्र में इन समुदायों की कई विशिष्ट सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता

'छठी अनुसूची' के बारे में:

1949 में संविधान सभा द्वारा पारित छठी अनुसूची भूमि, 'स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों' और 'स्वायत्त ज़िला परिषदों' (ADCs) के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान करती है।

- इन परिषदों को सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है।
- वर्तमान में छठी अनुसूची के अंतर्गत, चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त जिला परिषदें सम्मिलित हैं।
- यह 'विशेष प्रावधान' संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत किया गया है।

छठी अनुसूची के प्रमुख प्रावधान:

इसके अंतर्गत चार राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है, किंतु इन्हें संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के अधीन रखा गया है।

1. राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है।
2. यदि एक स्वायत्त ज़िले में अलग-अलग जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल ज़िले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।
3. **संरचना:** प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें

CAREER PLUS

से चार राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।

4. **कार्यकाल:** निर्वाचित सदस्य पाँच साल के कार्यकाल के लिये पद धारण करते हैं (यदि परिषद को इससे पूर्व भंग नहीं किया जाता है) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के इच्छानुसार समय तक पद पर बने रहते हैं।
5. प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है।
6. **परिषदों की शक्तियां:** ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं। वे भूमि,वन, नहर के जल, स्थानांतरित कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकती हैं, किंतु ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति आवश्यक है।
7. **ग्राम सभाएँ:** अपने क्षेत्रीय न्यायालयों के अंतर्गत ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें जनजातियों के मध्य मुकदमों एवं मामलों की सुनवाई के लिये **ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन** कर सकती हैं। वे उनकी अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

'सौर गठबंधन' के लिए 'संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक' का दर्जा

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' (International Solar Alliance – ISA) को 'पर्यवेक्षक का दर्जा' (Observer Status) प्रदान किया गया है। भारत ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

पर्यवेक्षक दर्जे का महत्व:

संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' (ISA) को 'पर्यवेक्षक का दर्जा' (Observer Status) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने से 'सौर गठबंधन' और 'संयुक्त राष्ट्र' के बीच नियमित और अच्छी तरह से परिभाषित सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी जिससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा वृद्धि और विकास में लाभ होगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में:

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा 'सौर ऊर्जा समाधानों' के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने संबंधी संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी।

- इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP-21 के दौरान की गई थी।
- आईएसए (ISA)122 से अधिक देशों का गठबंधन है।
- आईएसए, सौर ऊर्जा का उपयोग से ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 'कर्क रेखा' और 'मकर रेखा' के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से अवस्थित, सौर संसाधन समृद्ध देशों का गठबंधन है।
- पेरिस घोषणापत्र में 'आईएसए' को अपने सदस्य देशों के मध्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित गठबंधन के रूप में घोषित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मौजूदा सौर प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर परिनियोजन की सुविधा प्रदान करता है, और सहयोगी सौर अनुसंधान एवं विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है।

सचिवालय:

- भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से 'गुरुग्राम' में 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' मुख्यालय की आधारशिला रखी गयी।
- इनके द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित 'राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान परिसर' में आईएसए के अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया गया।

उद्देश्य:

- 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' के प्रमुख उद्देश्यों में 1,000GW से अधिक सौर उत्पादन क्षमता को वैश्विक रूप से परिनियोजित करना तथा वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में 1000 बिलियन

CAREER PLUS

अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना शामिल है।

- आईएसए के तहत, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता और विकास, और भंडारण प्रौद्योगिकी के विकास, बड़े पैमाने पर विनिर्माण और नवाचार के लिए पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने की परिकल्पना की गयी है।

हस्ताक्षरकर्ता:

- कुल 80 देशों ने 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है, और 101 देशों ने समझौते पर केवल हस्ताक्षर किए हैं।

आवश्यकता:

कम लागत की प्रौद्योगिकी से अधिक महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को शुरू किया जा सकता है।

सौर ऊर्जा, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है।

परियोजना का सफल कार्यान्वयन, सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच लक्ष्य (SDG 7) को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' के छह प्रमुख कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक 'गेम चेंजर' साबित हो सकते हैं।

1. कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोग,
2. व्यापक स्तर पर वहनीय वित्त,
3. मिनी ग्रिड,
4. सौर छत (Solar Rooftops)
5. 'सौर ई-गतिशीलता' और भंडारण

कोन्याक नागा

नागालैंड के 'मोन' जिले में रहने वाले कोन्याक नागा (Konyak Nagas) जनजाति के शीर्ष निकाय 'कोन्याक संघ' (Konyak Union – KU) ने कोन्याक की धरती पर सशस्त्र बलों के साथ अपने "असहयोग" को जारी रखने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। यह निर्णय, हाल ही में, ओटिंग गांव में एक सुरक्षा मुठभेड़ में 14 नागरिकों की हत्या के बाद लिया गया।

'कोन्याक नागा समुदाय' के बारे में:

- 'कोन्याक नागा' (Konyak Nagas), सभी नागा जनजातियों में सबसे बड़ा समुदाय है।
- ये नागालैंड के मोन जिले में निवास करते हैं – जिसे 'द लैंड ऑफ द आंग्स' (The Land of The Anghs) के नाम से भी जाना जाता है।
- आंग/वांग (Anghs/Wangs) उनके पारंपरिक मुखिया होते हैं जिनका वे बहुत सम्मान करते हैं।
- इस जनजाति के लोग, किसी दुश्मन का सिर काटने के बाद अपने चेहरे पर टैटू बनवाते हैं।
- बन्दूक बनाने, लोहा पिघलाने, पीतल के काम, और बारूद बनाने जैसे कार्य इन्हें अन्य समुदायों से भिन्न बनाते हैं। ये लोग 'जंगलौ' (Machetes) और लकड़ी की मूर्तियां बनाने में भी माहिर होते हैं।
- **त्यौहार:** आओलेंग (Aoleng), वसंत का स्वागत करने और बीज बोने से पहले भूमि पर सर्वशक्तिमान (कहवांग) के आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए अप्रैल (1-6) के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार, कोन्याक समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है।
- 'लाओ ओंग मो' अगस्त/सितंबर के महीनों में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल उत्सव, इनका एक अन्य त्योहार है।

'दुर्गा पूजा' यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' सूची में शामिल

'अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा हेतु अंतर-सरकारी समिति' द्वारा 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' (Intangible Cultural Heritage of Humanity) की प्रतिनिधि सूची में 'कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा' को शामिल किया गया है।

अब तक कुल मिलाकर, भारत के 14 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों' (Intangible Cultural Heritage elements) को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा चुका है।

निहितार्थ:

यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' सूची में शामिल किए जाने से, दुर्गा पूजा मनाने वाले स्थानीय समुदायों, सभी पारंपरिक शिल्पकारों, डिजाइनरों, कलाकारों, और बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों के साथ-साथ 'दुर्गा पूजा' के सर्व समावेशी उत्सव में भाग लेने वाले पर्यटकों और आगंतुकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

'दुर्गा पूजा' के बारे में:

'दुर्गा पूजा' (Durga Puja) एक पांच दिवसीय त्योहार है, जो नौ-दिवसीय नवरात्रि उत्सव की पांचवीं रात से शुरू होकर, दसवें दिन अर्थात दशमी को समाप्त होता है। इस अवधि में, लोग सामूहिक रूप से ब्रह्मांड की नारी-ऊर्जा मानी जाने वाले, शक्ति-स्वरूपा देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनका आह्वान करते हैं।

यद्यपि इस उत्सव की शुरुआत 'पश्चिम बंगाल' में हुई है, किंतु यह त्योहार भारत और विश्व के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है।

कई लोग इसे त्योहार से ज्यादा 'भावना' के रूप में देखते हैं।

'दुर्गा पूजा' धर्म और संस्कृति का एक उत्कृष्ट संगम है।

'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' के बारे में:

यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' (Intangible Cultural Heritage) में परंपराओं अथवा हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली जीती-जागती अभिव्यक्तियों, जैसेकि मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, त्यौहार एवं उत्सव, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित प्रथाएं अथवा ज्ञान और पारंपरिक शिल्प संबंधी कौशल को सम्मिलित किया जाता है।

यूनेस्को द्वारा विश्व में महत्वपूर्ण 'अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों / विरासतों' की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के उद्देश्य से 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची' का गठन किया गया है।

यह सूची वर्ष 2008 में, 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा अभिसमय, 2003 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) के प्रभावी होने पर निर्मित की गयी थी।

वर्ष 2010 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो सूचियों को संकलन किया जाता रहा है:

मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की लंबी, प्रतिनिधि सूची में सांस्कृतिक "प्रथाएं और अभिव्यक्तियां शामिल की जाती हैं, [जो] इस विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं।"

तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाली 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों' की छोटी सूची, में उन सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें संबंधित समुदाय और देश, प्रचलित रखने / जीवित रखने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता समझते हैं।

CAREER PLUS

भुगतान बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों को 'सरकारी एजेंसी कारोबार' करने की अनुमति

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान बैंकों (Payments Banks) तथा लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks) को 'सरकारी एजेंसी कारोबार / बिजनेस' (Govt. agency business) करने की अनुमति दी गयी है।

इसके लिए यह शर्त रखी गयी है, कि संबंधित बैंक 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (Prompt Corrective Action – PCA) फ्रेमवर्क या अधिस्थगन के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए।

'एजेंसी बैंक' को मान्यता देने की शक्ति:

किसी विशेष 'सरकारी एजेंसी कारोबार' के लिए 'एजेंसी बैंक' (अनुसूचित निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंक सहित) को

मान्यता देने का विकल्प, पूरी तरह से केंद्र सरकार के संबंधित विभागों / राज्य सरकारों के पास है।

निहितार्थ:

- इस व्यवस्था के बाद, बैंक अब सरकार और अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी अनुरोध प्रस्तावों (Request for Proposals), प्राथमिक नीलामी, निश्चित दर और परिवर्तनीय रेपो दर, और रिवर्स रेपो, तथा 'सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility – MSF) में भाग ले सकते हैं।
- साथ ही, बैंक अब सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदार के लिए भी पात्र होंगे।

'लघु वित्त बैंक' के बारे में:

'लघु वित्त बैंक' (Small Finance Bank – SFBs), देश में अल्प बैंकिंग सुविधाओं और बैंक रहित क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान होते हैं।

- 'लघु वित्त बैंक' (SFBs) 'कंपनी अधिनियम,' 2013 के तहत एक 'पब्लिक लिमिटेड कंपनी' के रूप में पंजीकृत होते हैं।
- ये बैंक, अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह, सभी बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों, जैसेकि ऋण देने और जमा स्वीकार करने, में संलग्न हो सकते हैं।
- वित्तीय समावेशन पर गठित 'नचिकेत मोर समिति' द्वारा इनकी 'लघु वित्त बैंकों' की स्थापना के लिए सुझाव दिया गया था।
- 'लघु वित्त बैंक' बड़ी राशि के ऋण नहीं दे सकते। इसके अलावा, ये हाई-टेक उत्पादों में सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते और न ही व्यापार कर सकते हैं।

भुगतान बैंक (Payments Banks):

भुगतान बैंकों की स्थापना, 'मामूली बचत खाते और प्रवासी श्रमिक कार्यबलों, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे उद्यमों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान/प्रेषण सेवाओं को प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।'

- भुगतान बैंक, एक निश्चित सीमा तक ही जमा स्वीकार कर सकते हैं। वर्तमान में, जमा राशि स्वीकार करने की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 200,000 रुपये है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है।
- ये बैंक, ऋण या क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं कर सकते हैं। तथापि, इस प्रकार के बैंक 'चालू' और 'बचत' दोनों खातों को संभाल सकते हैं।
- भुगतान बैंक, एटीएम और डेबिट कार्ड के साथ-साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

महिलाओं के लिए विवाह की विधिक आयु में वृद्धि

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं के लिए विवाह हेतु कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया गया है।

यह फैसला 'जया जेटली' की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर आधारित है।

कार्यबल (Task force):

पिछले वर्ष, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट भाषण में मातृ मृत्यु दर कम करने और पोषण स्तर में सुधार के लिए 'मातृत्व धारण करने के लिए लड़की की आयु' निर्धारण हेतु एक समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था।

लेकिन, जब टास्क फोर्स नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा की गई, तो इसके **विचारणार्थ विषयों (Terms of reference– ToR)** में 'माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति, तथा **'विवाह एवं मातृत्व की उम्र के परस्पर संबंध'** की जांच करना' भी शामिल कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण अनुशंसाएं:

- विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाना चाहिए।
- सरकार को लड़कियों की स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच बढ़ाने पर, तथा दूर-दराज के क्षेत्रों से

शिक्षा संस्थानों तक आने-जाने हेतु लड़कियों के परिवहन पर ध्यान देना चाहिए।

- स्कूलों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण, तथा यौन शिक्षा को शामिल किए जाने की भी सिफारिश की गई है।
- इन सिफारिशों को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इन्हें लागू नहीं किया जाएगा और महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाता है, तब तक विवाह-आयु संबंधी कानून अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं होगा।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के पक्ष में तर्क:

समिति के अनुसार, कि उपर्युक्त अनुशंसाएं 'जनसंख्या नियंत्रण' (भारत की 'कुल प्रजनन दर' में पहले से ही कमी आ रही है) के तर्क की अपेक्षा 'महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता' पर अधिक आधारित है। समिति का कहना है, कि कानून के प्रभावी रूप से लागू होने के लिए, शिक्षा और आजीविका तक पहुंच में एक साथ वृद्धि की जानी चाहिए।

आलोचना:

- महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस सुझाव का विरोध किया है और कई प्रमाणों का उद्धरण देते हुए यह साबित किया है, कि इस तरह की कार्यवाही का इस्तेमाल, माता-पिता की सहमति के बिना विवाह करने वाले युवा वयस्कों को 'कैद करने' के लिए किया जा सकता है।
- साथ ही, इस कदम से कानून के लागू होने के बाद, होने वाले बड़ी संख्या में विवाहों का 'अपराधीकरण' हो जाएगा, अर्थात बड़ी संख्या में होने वाले विवाह 'अपराध' माने जाएंगे।

इस संदर्भ में वैधानिक प्रावधान:

वर्तमान में, कानून के अनुसार, **पुरुष तथा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित है।**

विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु, व्यस्क होने की आयु से भिन्न होती है। वयस्कता, लैंगिक रूप से तटस्थ होती है।

1. **भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के अनुसार**, कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 'व्यस्क' हो जाता है।
2. हिंदुओं के लिए, **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii),** में वधू न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। **बाल विवाह गैरकानूनी नहीं है** किंतु विवाह में किसी नाबालिग (वर अथवा वधू) के अनुरोध पर विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है।
3. इस्लाम में, **नाबालिग के यौवन प्राप्त कर लेने के पश्चात विवाह** को मुस्लिम पर्सनल लॉ, के तहत वैध माना जाता है।
4. **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006** के अंतर्गत क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित की गयी है।

इस कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता:

महिलाओं में प्रारंभिक गर्भावस्था के जोखिमों को कम करने तथा 'लैंगिक-तटस्थता' लाने हेतु महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के पक्ष में कई तर्क दिए जाते रहे हैं।

- प्रारंभिक गर्भावस्था का संबंध बाल मृत्यु दर में वृद्धि से होता है तथा यह माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
- विवाह के लिए न्यूनतम आयु की अनिवार्यता तथा नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध घोषित किये जाने के बाद भी, देश में बाल विवाह का काफी प्रचलन है।
- इसके अलावा, एक अध्ययन के अनुसार, किशोर माताओं (10-19 वर्ष) से जन्म लेने वाले बच्चों में युवा-वयस्क माताओं (20-24 वर्ष) से पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में 5 प्रतिशत तक कद में बौने रह जाने की संभावना होती है।

'मीनदम मंजअप्पाई' योजना

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-8

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 'सिंगल यूज प्लास्टिक' बैग के बजाय कपड़े की थैलियों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'मीनदम मंजअप्पाई' (Meendum Manjappai) अभियान शुरू किया है।

तमिलनाडु सरकार पहले ही 14 तरह की प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है।

आवश्यकता:

प्लास्टिक सामग्री पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के प्रभावी होने के लिए प्रवर्तन होना महत्वपूर्ण है।

सरकार के लिए प्लास्टिक विकल्पों के उपयोग को विनियमित करने, पुनर्चक्रण में सुधार करने और बेहतर अपशिष्ट पृथक्करण प्रबंधन जैसी नीतियों, जैसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करने की भी जरूरत है।

पुनर्चक्रण में सुधार के अलावा, इस समस्या से निपटने हेतु अन्य विकल्पों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाना भी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए।

तोलकाप्पियम

हाल ही में, शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा तोलकाप्पियम (Tolkāppiyam) के हिंदी अनुवाद और शास्त्रीय तमिल साहित्य की 9 पुस्तकों के कन्नड़ अनुवाद का विमोचन किया गया।

- तमिल साहित्य, संगम युग से संबंधित है, जिसका नाम कवियों की सभा (संगम) के नाम पर रखा गया है।
- तोल्काप्पियम की रचना 'तोल्काप्पियार' द्वारा की गयी थी और इसे तमिल साहित्यिक कृतियों में सबसे प्रारंभिक माना जाता है।
- हालांकि यह रचना तमिल व्याकरण से संबंधित है, किंतु यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर भी अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है।
- तमिल परंपरा में कुछ लोग, इस रचना को सहस्राब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले के 'पौराणिक दूसरे संगम' में रखते हैं।

WTO की विवाद निपटान प्रणाली

चीन द्वारा 'लिथुआनिया' (Lithuania) को ताइवान पर इसके रुख की वजह से निशाना बनाए जाने पर, हाल ही में, यूरोपीय संघ द्वारा 'विश्व व्यापार संगठन' (WTO) में बीजिंग के खिलाफ मामला शुरू किया गया है।

- लिथुआनिया ने जुलाई में ताइवान को अपने 'विलनियस' (Vilnius) शहर में एक राजनयिक दूतावास खोलने की अनुमति देकर हलचल मचा दी थी।
- लिथुआनिया के इस कदम ने बीजिंग को नाराज कर दिया। चीन, ताइवान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और इस स्व-शासित लोकतांत्रिक द्वीप को अपनी मुख्य भूमि का विद्रोही क्षेत्र मानता है।

लिथुआनिया:

- यह बाल्टिक सागर (Baltic Sea) के पूर्वी तट पर स्थित तीन बाल्टिक देशों में से एक है।
- लिथुआनिया, उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण-पश्चिम में रूस के कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट (Kaliningrad Oblast) के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है।

WTO में विवाद निपटान:

व्यापार संबंधी विवादों का समाधान करना, विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख गतिविधियों में से एक है।

- जब किसी सदस्य राष्ट्र की सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि कोई अन्य सदस्य देश 'विश्व व्यापार संगठन' के किसी समझौते या अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन कर रहा है तो उनके मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।
- 'विश्व व्यापार संगठन' की विवाद निपटान प्रणाली, विश्व की सबसे सक्रिय 'अंतरराष्ट्रीय विवाद प्रणालियों' में से एक है। 1995 के बाद

CAREER PLUS

से, विश्व व्यापार संगठन में 609 विवाद लाए जा चुके हैं और इसके द्वारा अब तक 350 से अधिक फैसले दिए जा चुके हैं।

WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को निपटाने के दो मुख्य तरीके हैं:

1. पक्षकारों द्वारा, विशेष रूप से द्विपक्षीय परामर्श के चरण के दौरान, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान निकाल लिया जाता है।
2. पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के पश्चात्, विवाद निपटान निकाय द्वारा मामले पर फैसला सुनाया जाता है। यह फैसला संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है।

विश्व व्यापार संगठन में 'विवाद निपटान प्रक्रिया' के तीन मुख्य चरण होते हैं:

1. पक्षकारों के मध्य परामर्श (consultations between the parties)।
2. पैनल द्वारा निर्णय, और यदि लागू हो तो, अपीलीय निकाय द्वारा निर्णय।
3. फैसले का कार्यान्वयन। इसके तहत हारने वाले पक्ष द्वारा फैसले को लागू करने में विफल रहने पर उसके खिलाफ उपाय किए जा सकते हैं।

विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय:

विश्व व्यापार संगठन का 'अपीलीय निकाय' (Appellate Body) वर्ष 1995 में स्थापित, सात सदस्यों की एक स्थायी समिति है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा लाए गए व्यापार संबंधी विवादों में पारित निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई करती है।

- WTO समझौते या निर्धारित दायित्वों का उल्लंघन करने से संबंधित विवाद में शामिल देशों को, यदि ऐसा लगता है कि इस मामले की जांच करने हेतु गठित पैनल की रिपोर्ट की कानून के बिंदुओं पर समीक्षा की जानी चाहिए, तो वे अपीलीय निकाय से संपर्क कर सकते हैं।
- हालांकि, अपीलीय निकाय द्वारा मौजूदा साक्ष्यों की पुन: जांच नहीं की जाती है लेकिन कानूनी व्याख्याओं की समीक्षा की जाती है।
- अपीलीय निकाय, विवाद की सुनवाई करने वाले पैनल के कानूनी निष्कर्षों को बरक़रार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उलट सकता है। विवाद से संबंधित किसी एक या दोनों पक्षों द्वारा पैनल के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है।

भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन

(Comic book 'India's Women Unsung Heroes' released)

हाल ही में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'आजादी का महोत्सव' के हिस्से के रूप में 'स्वतंत्रता संग्राम की भारत की गुमनाम नायिकाओं' पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में भारत की 20 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को शामिल किया गया है।

संस्कृति मंत्रालय ने 'अमर चित्र कथा' के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के 75 गुमनाम नायकों पर सचित्र पुस्तकों का विमोचन करने का निर्णय लिया है।

दूसरा संस्करण 25 गुमनाम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों पर होगा जो प्रक्रियाधीन है और इसमें कुछ समय लगेगा। तीसरा और अंतिम संस्करण अन्य क्षेत्रों के 30 गुमनाम नायकों पर होगा।

पुस्तक में शामिल की गयी कुछ प्रमुख नायिकाएं:

रानी अब्बक्का:

रानी अब्बक्का (Abbakka Chowta) कर्नाटक के चौटा उल्लाल की पहली तुलुव रानी थीं, इन्होने 16वीं शताब्दी में शक्तिशाली पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी और उन्हें पराजित किया।

वह चौटा राजवंश से संबंधित थीं। जो मंदिरों के नगर मूडबिद्री से शासन करते थे। बंदरगाह शहर उल्लाल उनकी सहायक राजधानी थी। चौटा राजवंश का शासन भारत के तटीय कर्नाटक (तुलु नाडु) के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इनकी राजधानी पुट्टीगे (Puttige) थी।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-8

मातंगिनी हाजरा (Matangiri Hazra):

मातंगिनी हाजरा बंगाल की एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

- उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1930 में, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक अधिनियम को तोड़ने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- 29 सितंबर 1942 को तामलुक पुलिस स्टेशन (तत्कालीन मिदनापुर जिला) के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने गोली मार कर इनकी हत्या कर दी।
- उन्हें 'गाँधी बुढ़ी' के नाम से जाना जाता था।

गुलाब कौर (Gulab Kaur):

गुलाब कौर एक स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने भारतीय लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने और संगठित करने के लिए अपने जीवन की आशाओं और आकांक्षाओं और विदेश में जीवन के अपने सपनों का त्याग किया।

- फिलीपींस की राजधानी मनीला में, गुलाब कौर भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के उद्देश्य से भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित एक संगठन 'ग़दर पार्टी' में शामिल हो गईं।

रानी वेलु नचियार (Velu Nachiyar):

शिवगंगा की रानी वेलु नचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थीं।

- उन्होंने 1780-1790 तक शिवगंगा रियासत की रानी के रूप में शासन किया।
- उन्हें तमिलों द्वारा वीरमंगई (बहादुर महिला) के रूप में जाना जाता है।
- उन्होंने, हैदर अली की सेना, सामंतों, मरुधु भाइयों, दलित सेनानायकों और थंडावरायण पिल्लई के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष किया।

झलकारी बाई (Jhalkari Bai):

झलकारी बाई एक महिला योद्धा और झांसी की रानी की प्रमुख सलाहकारों में से एक थी।

- उन्होंने 1857 के विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- झांसी की कड़ी घेराबंदी के दौरान उन्होंने खुद रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला, जिससे रानी को किले से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की अवसर मिल गया। वह अंग्रेजों से लडती हुई वीरगति को प्राप्त हुईं।

वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल

(Ethanol as an alternate fuel)

यद्यपि देश में ऑटो-ईंधन में इथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाने में लगातार प्रगति हुई है। वाहन-ईंधन में इथेनॉल की हिस्सेदारी एक साल पहले 5% थी, जोकि 'इथेनॉल आपूर्ति वर्ष' (Ethanol Supply Year – ESY) 2020-21 (दिसंबर-नवंबर) में बढ़कर 8.1% हो गयी है। यदि वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो इसके लिए कई मुद्दों पर ध्यान की आवश्यकता होगी।

इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्व:

- चूंकि, पेट्रोलियम उत्पादों का अधिकांश उपयोग परिवहन क्षेत्र में किया जाता है, ऐसे में '20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल' (E20) प्रयोग किए जाने का सफल कार्यक्रम, संभावित रूप से देश के लिए प्रति वर्ष $4 बिलियन की बचत कर सकता है।
- E20 का प्रयोग किए जाने से, मूल रूप से नियमित पेट्रोल के लिए डिज़ाइन किए गए चार पहिया वाहनों की ईंधन दक्षता में 6-7% की अनुमानित कमी होती है।

पृष्ठभूमि:

- सरकार द्वारा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol- EBP) कार्यक्रम के तहत 'राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति' -2018 (National Policy on Biofuels-2018 : NBP-2018) के अनुरूप पेट्रोल जैसे मुख्य मोटर वाहन ईंधनों के

साथ इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- इस नीति में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इथेनॉल सम्मिश्रण की सीमा को निर्धारित करने वाले कारक:

देश भर में पर्याप्त गुणवत्ता वाले फीडस्टॉक (feedstock) की कमी और इथेनॉल की यत्र-तत्र (sporadic) उपलब्धता इथेनॉल सम्मिश्रण की सीमा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वर्तमान में फीडस्टॉक की आपूर्ति, मुख्य रूप से चीनी उत्पादक राज्यों में ही केंद्रित है।

इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास:

1. सरकार ने गन्ना और खाद्यान्न आधारित कच्चे माल से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दे दी है।
2. सरकार द्वारा गन्ना आधारित कच्चे माल से निर्मित इथेनॉल के लिए 'मिल से बाहर' की कीमत निर्धारित कर दी गयी है।
3. विभिन्न फीडस्टॉक से उत्पादित इथेनॉल के लिए पारिश्रमिक मूल्य तय किए गए हैं।
4. शीरा और अनाज आधारित नई भट्टियों / आसवनी (Distilleries) की स्थापना तथा मौजूदा भट्टियों के विस्तार के लिए ब्याज में छूट संबंधी योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।

इथेनॉल (Ethanol)

1. इथेनॉल का उत्पादन स्टार्च की उच्च मात्रा वाली फसलों, जैसे कि गन्ना, मक्का, गेहूँ आदि से किया जा सकता है।
2. भारत में, इथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः गन्ना के शीरे से किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
3. इथेनॉल को विभिन्न सम्मिश्रणों को बनाने के लिए गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
4. चूंकि इथेनॉल के अणुओं में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी वजह से इंजन, ईंधन को पूर्णतयः दहन करने में सक्षम होता है, परिणामस्वरूप उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है।
5. इथेनॉल का उत्पादन सूर्य की उर्जा प्राप्त करने वाले पादपों से किया जाता है, इसलिए इथेनॉल को नवीकरणीय ईंधन भी माना जाता है।

अदालत की अवमानना

(Contempt of Court)

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने गुरुग्राम में जुमे की नमाज अदा करने वाले नमाजियों के प्रति 'सांप्रदायिक घृणा और आतंक का माहौल' बनाने वाले 'गुंडों' पर लगाम नहीं लगाने पर, हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ 'अवमानना कार्रवाई' शुरू करने की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए तुरंत सूचीबद्ध करने पर सहमति प्रदान की है।

संबंधित प्रकरण:

शीर्ष अदालत में दायर याचिका में हरियाणा के अधिकारियों की निष्क्रियता को, वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने वाला बताते हुए निंदा की गयी है। अदालत ने अपने इस फैसले में कहा था, कि अधिकारियों को सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए और इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए तथा नफरत फैलाने वाले अपराधों के खिलाफ कानून का उपयोग करना चाहिए।

'अवमानना' क्या होती है?

यद्यपि 'अवमानना कानून' (Contempt Law) का मूल विचार उन लोगों को दंडित करना है जो अदालतों के आदेशों का सम्मान नहीं करते हैं। किंतु भारतीय संदर्भ में, अवमानना का उपयोग अदालत की गरिमा को कम करने तथा न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाली भाषा अथवा व्यक्तव्यों को दंडित करने के लिए भी किया जाता है।

अदालत की अवमानना दो प्रकार की हो सकती है: सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना।

1. **सिविल अवमानना:** सिविल अवमानना को किसी भी फैसले, आदेश, दिशा, निर्देश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया अथवा अदालत में दिए गए वचन के जानबूझ कर किये गए उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. **आपराधिक अवमानना:** आपराधिक अवमानना के तहत, किसी भी ऐसे विषय (मौखिक या लिखित शब्दों से, संकेतों, दृश्य प्रतिबिंबो, अथवा किसी अन्य प्रकार से) के प्रकाशन द्वारा अदालत की निंदा करने अथवा न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने अथवा बाधा डालने के प्रयास को सम्मिलित किया जाता है।

प्रासंगिक प्रावधान:

1. भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 129 और 215** में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
2. **1971 के अवमानना अधिनियम की धारा 10** में उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अवमानना करने पर दंडित करने संबंधी शक्तियों को परिभाषित किया गया है।
3. संविधान में लोक व्यवस्था तथा मानहानि जैसे संदर्भो सहित अदालत की अवमानना के रूप में, **अनुच्छेद 19** के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध को भी सम्मिलित किया गया है।

केंद्रीय बजट में पांच नदी-जोड़ो परियोजनाओं की घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भारत में 'पांच नदी-जोड़ो परियोजनाओं' (five river linking projects) का प्रस्ताव रखा है।

परियोजना हेतु चिह्नित की गयी नदियां:

गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी, दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा (Par-Tapi-Narmada)।

इन नदियों का संक्षिप्त विवरण:

- **कृष्णा नदी,** भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- **कावेरी नदी** का उद्गम 'कोडागु' से होता है और यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।
- **पेन्नार नदी,** 'चिक्काबल्लापुरा' से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- **गोदावरी नदी**, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है।

दमनगंगा-पिंजाल नदी-जोड़ परियोजना (Damanganga-Pinjal river linking) का उद्देश्य, मुंबई शहर के लिए घरेलू पानी उपलब्ध कराने हेतु 'दमनगंगा बेसिन' से अधिशेष जल को शहर की ओर मोड़ना है।

'पार-तापी-नर्मदा परियोजना' (Par-Tapi-Narmada project) के अंतर्गत, उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के पश्चिमी घाट क्षेत्र स्थित सात जलाशयों से अतिरिक्त पानी को, कच्छ और सौराष्ट्र के संदिग्ध क्षेत्रों में भेजे जाने का प्रस्ताव है।

इंटरलिंकिंग के लाभ:

- जल और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि
- जल का समुचित उपयोग
- कृषि को बढ़ावा
- आपदा न्यूनीकरण
- परिवहन को बढ़ावा देना

संबंधित विवाद एवं चिंताएं:

- नदियों को आपस में जोड़ना (Interlinking) काफी महंगा प्रस्ताव है। इससे भूमि, जंगलों, जैव विविधता, नदियों और लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- नदियों को आपस में जोड़ने से, वनों, आर्द्रभूमियों और स्थानीय जल निकायों का विनाश होगा। आर्द्रभूमियां, भूजल पुनर्भरण हेतु प्रमुख तंत्र होती हैं।
- इस तरह की परियोजनाएं लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बनती है। जिससे विस्थापितों के पुनर्वास के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार पर भारी बोझ पड़ता है।

CAREER PLUS

- नदियों को आपस में जोड़ने से, समुद्र में गिरने वाले ताजे पानी की मात्रा में कमी आएगी और इससे समुद्री जीवन को गंभीर खतरा होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of thanks to President's Address)

बजट सत्र की शुरुआत में, भारत के राष्ट्रपति, संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, आमतौर पर पिछले एक साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों और भविष्य के लिए लक्ष्यों और योजनाओं की रूपरेखा पर प्रकाश डाला जाता है।

इस संबोधन के पश्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of thanks to President's Address) पर चर्चा की जाती है।

धन्यवाद प्रस्ताव:

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात प्रत्येक सदन में सत्तापक्ष के सांसदों द्वारा **'धन्यवाद प्रस्ताव' (Motion of thanks)** प्रस्तुत किया जाता है।

- इस दौरान, राजनीतिक दल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं तथा संशोधन करने हेतु सुझाव भी देते हैं।
- 'राष्ट्रपति का अभिभाषण' और 'धन्यवाद प्रस्ताव' की कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 86(1) और 87(1) और लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमवाली के नियम 16 से लेकर नियम 24 तक के अनुसार की जाती है।

'धन्यवाद प्रस्ताव' में संशोधन:

राष्ट्रपति द्वारा सदन को संबोधित करने के पश्चात, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' में संशोधन सदन के पटल पर पेश किया जा सकता है।

- संशोधन में अभिभाषण में निहित मामलों के साथ-साथ उन विषयों को भी संदर्भित किया जा सकता है, जिनका, संशोधन प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य की राय में, अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया था।
- 'धन्यवाद प्रस्ताव' में संशोधन को, अध्यक्ष अपने विवेकानुसार उचित तरीके से पेश कर सकता है।

सीमाएं:

- 'धन्यवाद प्रस्ताव' के तहत, सदस्य उन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होती है।
- इसके अलावा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभिभाषण की विषयवस्तु राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाती है।

'धन्यवाद प्रस्ताव' किस प्रकार पारित होता है?

संसद सदस्यों द्वारा 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर मतदान किया जाता है। यह प्रस्ताव, दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक होता है।

'धन्यवाद प्रस्ताव' के पारित न होने को, सरकार की हार समझा जाता है और यह सरकार के पतन का कारण बन सकता है। यही कारण है, कि 'धन्यवाद प्रस्ताव' को 'अविश्वास प्रस्ताव' के समान माना जाता है।

स्थायी सिंधु आयोग(Permanent Indus Commission)

भारत और पाकिस्तान के मध्य 'स्थायी सिंधु आयोग' (Permanent Indus Commission) की वार्षिक बैठक होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है।

सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) के तहत, हर साल 'स्थायी सिंधु आयोग' की कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य है, और इसके अनुसार 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

सिंधु जल संधि के बारे में:

यह एक जल-वितरण समझौता है, जिस पर वर्ष 1960 में, विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-8

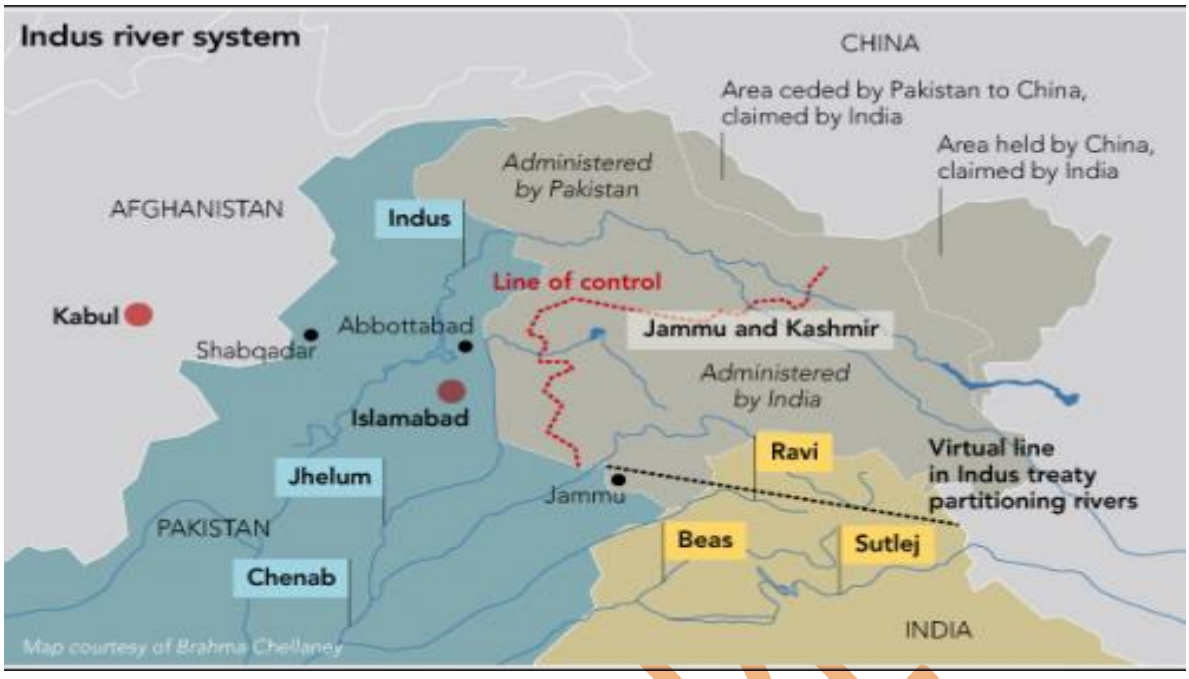

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल का बटवारा:

सिंधु जल समझौते (Indus Water Treaty – IWT) के अनुसार, तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलज- के पानी पर भारत को पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया। पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी नदियों- सिंधु, चिनाब और झेलम – को नियंत्रित किया जाता है।

- 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित 'सिंधु जल संधि' के प्रावधानों के तहत, पूर्वी नदियों – सतलुज, ब्यास और रावी – की कुल जल की राशि का लगभग 33 मिलियन एकड़-फीट (MAF) सालाना भारत को बिना रोक टोक के उपयोग करने के लिए आवंटित किया जाता है।
- पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम और चिनाब – का लगभग 135 MAF जल सालाना, पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा उपयोग किया जाता है।

जलविद्युत उत्पादन का अधिकार:

- सिंधु जल समझौते के तहत, भारत को 'डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन' पश्चिमी नदियों पर बहती हुई नदी पर परियोजनाओं (Run of the River Projects) के माध्यम से जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है।
- समझौते के तहत, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर चिंता व्यक्त करने का अधिकार भी है।

स्थायी सिंधु आयोग:

- स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission), भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की सदस्यता वाला एक द्विपक्षीय आयोग है, इसका गठन सिंधु जल संधि, 1960 के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने तथा इनका प्रबंधन करने के लिए किया गया था।
- 'सिंधु जल समझौते' के अनुसार, इस आयोग की, वर्ष में कम से कम एक बार, बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में नियमित रूप से बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

आयोग के कार्य:

- नदियों के जल संबंधी किसी भी समस्या का अध्ययन करना तथा दोनो सरकारों को रिपोर्ट करना।
- जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवादों को हल करना।
- परियोजना स्थलों और नदी के महत्वपूर्ण सिरों पर होने वाले कार्यों के लिए तकनीकी निरीक्षण की व्यवस्था करना।
- प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार, तथ्यों की जांच करने के लिए नदियों के निरीक्षण हेतु एक सामान्य दौरा करना।
- समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना।

आभासी डिजिटल संपत्ति(Virtual Digital Assets)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 1 फरवरी को दिए गए बजटीय भाषण में 'वर्चुअल डिजिटल संपत्ति' (Virtual Digital Assets) से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की है।

इस फैसले के पीछे का तर्क:

हाल के वर्षों में, डिजिटल माध्यम से होने वाले लेन-देन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और इन लेनदेन की परिमाण और आवृत्ति की वजह से, एक विशिष्ट 'कर व्यवस्था' का प्रावधान करना अनिवार्य हो गया है।

'वर्चुअल डिजिटल संपत्ति' क्या हैं और ये 'डिजिटल मुद्रा' से किस प्रकार भिन्न हैं?

सरल शब्दों में कहा जाए, तो 'वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों' में क्रिप्टोकरेंसी, डीसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (Decentralised Finance – DeFi) और गैर-प्रतिमोच्य टोकन (Non-Fungible Tokens – NFTs) शामिल किया जाता है। प्रथम दृष्टया, इसमें डिजिटल सोना, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) या कोई अन्य पारंपरिक डिजिटल परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए, सरकार के उपरोक्त कदम का उद्देश्य विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी पर 'कर' लगाना है।

वित्त विधेयक के अनुसार, एक आभासी / वर्चुअल डिजिटल संपत्ति का तात्पर्य, "क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या किसी अन्य माध्यम से उत्पन्न होने वाली, चाहे उसे किसी भी कोई नाम से जाना जाता हो बशर्ते विनिमय के लिए डिजिटल रूप से इसका प्रतिनिधित्व करती हो, अंतर्निहित कीमत के वादे या प्रतिनिधित्व करने वाली, अथवा कीमत भंडार के रूप में कार्य करने वाली तथा जिसका प्रयोग किसी भी वित्तीय लेनदेन या निवेश में किया जाता है किंतु केवल निवेश योजनाओं तक सीमित नहीं हो, और जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित, संग्रहीत या कारोबार किया जा सकता हो, किसी भी जानकारी या कोड या संख्या या टोकन (भारतीय मुद्रा या किसी विदेशी मुद्रा के अलावा) से है"। 'गैर-प्रतिमोच्य टोकन' (Non fungible token) और इसी तरह की प्रकृति के किसी भी अन्य टोकन को 'वर्चुअल डिजिटल संपत्ति' की परिभाषा में शामिल किया गया है।"

COP-26 पर भारत की स्थिति (India's Stand at COP-26)

हाल ही में, सरकार ने वर्तमान में जारी संसदीय सत्र के दौरान COP 26 पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

सरकार के अनुसार, 'जलवायु कार्रवाई' को तेज करने संबंधी भारत की घोषणा में, देश के एक स्वच्छ और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन करने में सहयोग करने हेतु निवेश एवं नई प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करने की क्षमता है।

पृष्ठभूमि:

भारत सरकार ने, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के 'ग्लासगो' शहर में आयोजित 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय' (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP26) के 26 वें सत्र में विकासशील देशों की चिंताओं को व्यक्त किया था।

पांच अमृत तत्व (पंचामृत):

भारत ने अपनी जलवायु कार्रवाई के 'पांच अमृत तत्व' अर्थात पंचामृत (Five Nectar Elements – Panchamrit) प्रस्तुत किए हैं। जोकि निम्नलिखित हैं:

1. वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंच।

2. वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की 50 प्रतिशत आपूर्ति।
3. कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में, अब से वर्ष 2030 तक एक अरब टन की कटौती।
4. वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में, वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत की कमी।
5. वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की लक्ष्य प्राप्ति।

LIFE का मंत्र- जीवन शैली:

भारत द्वारा COP 26 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 'लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' (LIFE-Lifestyle for Environment) का मंत्र भी साझा किया गया था।

- भारत ने आगे कहा, कि 'पर्यावरण हेतु जीवन शैली' (LIFE) को 'पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली' का एक जन आंदोलन बनाने के अभियान के रूप में आगे बढ़ाना होगा।
- भारत द्वारा दिया गया संदेश यह था, कि दुनिया को नासमझ और विनाशकारी उपभोग के बजाय सोच-समझकर उपयोग करने की आवश्यकता है।

नेट जीरो:

भारत ने वर्ष 2070 तक 'शुद्ध शून्य' / नेट जीरो (Net Zero) कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र बनने का भी वादा किया है, और साथ ही अक्षय ऊर्जा परिनियोजन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए बढ़े हुए लक्ष्यों की घोषणा की है।

भारत का दृष्टिकोण:

- अपने समग्र दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में, भारत, समानता के मूलभूत सिद्धांतों, और 'सामूहिक किंतु विभेदित जिम्मेदारियों' (common but differentiated responsibilities) और संबंधित क्षमताओं पर जोर देता है।
- भारत ने COP 26 में इस बात पर भी प्रकाश डाला, कि पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर तापमान वृद्धि को बनाए रखने के लिए सभी देशों को वैश्विक कार्बन बजट, एक सीमित वैश्विक संसाधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए।
- और, सभी देशों को इस वैश्विक कार्बन बजट का जिम्मेदारी से उपयोग करते हुए अपने उचित हिस्से के भीतर रहना चाहिए।
- **विकसित राष्ट्रों की जिम्मेदारी:** भारत ने विकसित देशों से जलवायु न्याय के लिए और मौजूदा दशक के दौरान उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने का आह्वान किया, ताकि उनके द्वारा घोषित तारीखों से पहले 'नेट जीरो' तक पहुंचा जा सके।

मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय:

- सभी प्लेटफार्मों को 'नवीकरणीय पहले' दृष्टिकोण (Renewable First Approach) अपनाना चाहिए।
- विभिन्न संस्थानों और अन्य देशों के बीच तालमेल बनाना चाहिए। उदाहरण: 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG), भारत द्वारा CoP26 में लॉन्च किया गया था। यह पहल, OSOWOG के तहत अक्षय ऊर्जा अपनाने के लिए सीमा पार ऊर्जा ग्रिडों को परस्पर जोड़ने के लिए सहायता प्रदान करेगी।
- उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज किया जाना चाहिए। उदाहरण: लोहा और इस्पात जैसे भारी उद्योग।
- नीतियों को लागू करने में एक 'पारिस्थितिकी तंत्र आधारित' दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण: फेम इंडिया योजना।
- हमें और अधिक 'कार्बन सिंक' – ऐसे क्षेत्र जो कार्बन का भंडारण करते हैं- की आवश्यकता है, जैसे वन, महासागर और आर्द्रभूमि।
- पर्यावरण की सुरक्षा में स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए।
- जलवायु अनुकूलन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना चाहिए। उदाहरण: जलवायु और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन

CAREER PLUS

जुटाने हेतु सितंबर में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू किया गया 'क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव' इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 50 वर्ष (UNEP@50)

'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (United Nations Environment Programme – UNEP) द्वारा 2022 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' के बारे में:

- 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) की स्थापना 'मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक सम्मेलन' के पश्चात् वर्ष 1972 में हुई थी।
- UNEP की परिकल्पना, पर्यावरण की स्थिति की निगरानी, 'वैज्ञानिक जानकारी के साथ नीति निर्माण' और 'विश्व की पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय' करने के लिए की गई थी।

प्रमुख रिपोर्ट्स: 'उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट' (Emission Gap Report), 'ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक', फ्रंटियर्स, एवं 'इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट'।

प्रमुख मिशन: बीट पॉल्यूशन (Beat Pollution), UN75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।

भूमिका:

- अपनी स्थापना के बाद से, 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP), विश्व के सभी देशों को उनके द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करने तथा विश्व की अधिकांश सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने हेतु समन्वित कार्रवाई करने हेतु, अपने 193 सदस्य देशों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर निरंतर कार्य कर रहा है।
- UNEP द्वारा 15 बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के लिए 'डॉकिंग स्टेशन' (Docking Station) के रूप में भी अग्रणी भूमिका निभाई गयी है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं समयरेखा:

- 1972: 'मौरिस स्ट्रांग' (Maurice Strong), 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) के पहले प्रमुख के रूप में चुने गए।
- 1973: UNEP द्वारा 2 अक्टूबर को केन्याटा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पहला मुख्यालय स्थापित किया गया।
- 1973: वैश्विक नेताओं द्वारा 'MARPOL' के नाम से विख्यात, जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए।
- 1973: राष्ट्रों द्वारा **लुप्तप्राय वन्यजीव तथा वनस्पति प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय** (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora– CITES) को अपनाया गया। 1984 में CITES, 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' द्वारा प्रशासित बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता बन गया।
- 1974: 'विश्व पर्यावरण दिवस' (World Environment Day) की शुरुआत हुई। समस्त विश्व में 5 जून को "केवल एक पृथ्वी" (Only One Earth) थीम के तहत UNEP द्वारा आयोजित पहला 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाया गया।
- 1974: 'क्षेत्रीय समुद्र कार्यक्रम' (Regional Seas Programme) की स्थापना की गयी।
- 1976: 16 फरवरी 1976 को बार्सिलोना में 'प्रदूषण के खिलाफ भूमध्य सागर संरक्षण अभिसमय' अर्थात 'बार्सिलोना कन्वेंशन' (Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution) अपनाया गया। यह अभिसमय वर्ष 1978 में लागू हुआ।

CAREER PLUS

- 1979: राष्ट्रों द्वारा 'प्रवासी प्रजाति अभिसमय' (Convention on Migratory Species) अपनाया गया। इस अभिसमय को 'बॉन कन्वेंशन' (Bonn Convention) के रूप में भी जाना जाता है।

'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम', हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न राष्ट्रों और पर्यावरण समुदाय को एक साथ लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों और अनुसंधान निकायों के सचिवालयों की मेजबानी करता है।

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. जैविक विविधता पर अभिसमय
2. वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय
3. पारा पर मिनामाता अभिसमय
4. बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन
5. ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
6. प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय
7. कार्पेथियन कन्वेंशन
8. बमाको कन्वेंशन
9. तेहरान अभिसमय

उइगर

चीन ने शिनजियांग' क्षेत्र में 'मानवाधिकार रिकॉर्ड' की आलोचना करने वाले कई देशों को जवाब देने के लिए, बीजिंग शीतकालीन ओलिंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए अंतिम मशालधारक (Torchbearer) को 'शिनजियांग' (Xinjiang) प्रांत से चुना है।

- किंतु, आलोचकों द्वारा चीन की इस कारवाई को पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देखा जा रहा है।
- 'शिनजियांग' एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर कई देशों की सरकारें यह संदेह करती है, कि चीन द्वारा इस क्षेत्र में 'उइघुर' (Uighur/Uyghur) एवं अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जातीयसंहार को अंजाम दिया जा रहा है।

संबंधित प्रकरण:

कई देशों ने 'शिनजियांग प्रांत' में 'मुस्लिम उइगर समुदाय' के लिए, चीन से "कानून के शासन का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने" की मांग की है।

विश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है, कि शिनजियांग में एक लाख से अधिक लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तथा उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को अनुचित रूप से लक्षित करते हुए व्यापक निगरानी की जा रही है, और उइघुर संस्कृति तथा मौलिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है।

चीन की प्रतिक्रिया:

पर्याप्त सबूतों के बावजूद, चीन, उइगरों के साथ दुर्व्यवहार से इनकार करता है, और जोर देकर, केवल चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए "व्यावसायिक प्रशिक्षण" केंद्र चलाने की बात करता है।

उइगर कौन हैं?

उइगर (Uighurs) मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्की नृजातीय समूह हैं, जिनकी उत्पत्ति के चिह्न 'मध्य एवं पूर्वी एशिया' में खोजे जा सकते हैं।

- उइगर समुदाय, तुर्की भाषा से मिलती-जुलती अपनी भाषा बोलते हैं, और खुद को सांस्कृतिक और नृजातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब मानते हैं।
- चीन, इस समुदाय को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और इन्हें देश का मूल-निवासी समूह मानने से इंकार करता है।
- वर्तमान में, उइगर जातीय समुदाय की सर्वाधिक आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में निवास करती है।
- उइगरों की एक बड़ी आबादी पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी पाई जाती है।

दशकों से उइगर मुसलमानों पर चीनी सरकार द्वारा आतंकवाद और अलगाववाद के झूठे आरोपों के तहत, उत्पीड़न, जबरन हिरासत, गहन-जांच, निगरानी और यहां तक कि गुलामी जैसे दुर्व्यवहार किये जा रहे हैं।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-8

हाइड्रोजन के प्रकार

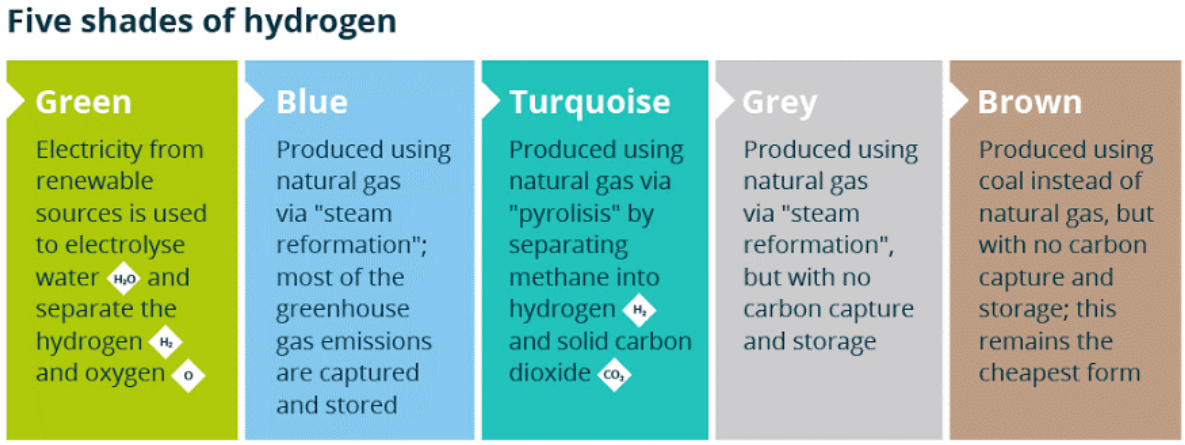

कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण

उत्सर्जन को कम करने और कच्चे तेल पर निर्भरता को नियंत्रित करने के अपने प्रयास में, केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की परियोजनाओं की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता को समझने के लिए प्रायोगिक आधार पर चार 'कोयला गैसीकरण' (Coal Gasification) संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

महत्व:

- भारत 2030 तक विद्युत् संयंत्रों में कोयले की खपत को आधा करने और समग्र कार्बन-चिह्नों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 'कोयला गैसीकरण' को भट्टियों में जीवाश्म ईंधन दहन का एक 'हरित विकल्प' माना जाता है।

'कोयला गैसीकरण' क्या है?

- **कोयला गैसीकरण** (Coal Gasification) कोयले को संश्लेषित गैस (Synthesis Gas), जिसे सिनगैस (syngas) भी कहा जाता है, में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H2), कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), प्राकृतिक गैस (CH4), और जल वाष्प (H2O) के मिश्रण से सिनगैस का निर्माण किया जाता है।
- गैसीकरण के दौरान, कोयले को उच्च दबाव पर गर्म करते हुए ऑक्सीजन तथा भाप के साथ मिश्रित किया जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान, ऑक्सीजन और जल के अणु कोयले का ऑक्सीकरण करते हैं और सिनगैस का निर्माण करते हैं।

गैसीकरण के लाभ:

1. गैस का परिवहन, कोयले के परिवहन की तुलना में बहुत सस्ता होता है।
2. स्थानीय प्रदूषण समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है।
3. पारंपरिक कोयला दहन की तुलना में अधिक दक्ष होती है क्योंकि इसमें गैसों का प्रभावी ढंग से दो बार उपयोग किया जा सकता है: कोयला गैसें पहले अशुद्धियों को साफ करती है और विद्युत् उत्पादन हेतु टरबाइन में इनका उपयोग किया जाता है। गैस टरबाइन से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा का उपयोग 'भाप टरबाइन-जनरेटर' में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ:

- कोयला गैसीकरण **ऊर्जा उत्पादन के अधिक जल-गहन रूपों में से एक है।**
- कोयला गैसीकरण से **जल संदूषण, भूमि-ध्वसान तथा अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान** आदि के बारे मे चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

कोयला द्रवीकरण क्या है?

कोयला द्रवीकरण (coal liquefaction) को **कोल टू लिक्विड (Coal to Liquid– CTL) तकनीक** भी कहा जाता है। यह डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने की

CAREER PLUS

वैकल्पिक पद्धति है, जो कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए काफी सस्ती है।

- इस प्रक्रिया में कोयले का गैसीकरण शामिल होता है, जिससे सिंथेटिक गैस (CO+H2 का मिश्रण) का निर्माण होता है। सिंथेटिक गैस को उच्च दबाव तथा उच्च तापमान पर कोबाल्ट / लौह-आधारित उत्प्रेरक की उपस्थिति में तरलीकृत करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- हालांकि, द्रवीकृत कोयला, पेट्रोलियम ईंधन की तुलना में **CO2 का दो गुना अधिक उत्सर्जन** करता है। यह **बड़ी मात्रा में SO2 का भी उत्सर्जन करता** है।

द्रवीकरण के लाभ:

CTL संयंत्रों से होने वाले CO2 उत्सर्जन को पारंपरिक कोयला आधारित विद्युत संयंत्रो की तुलना में आसानी से और कम लागत में अभिग्रहण (Capture) किया जा सकता है। इस अभिग्रहीत CO2 को भूमिगत भंडारण कुण्डो में संग्रहीत किया जा सकता है।

लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा(Reclining Lord Vishnu)

- हाल ही में, 'इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज' द्वारा 'लेटे हुए भगवान विष्णु' (Reclining Lord Vishnu) की 1,000 साल पुरानी बलुआ पत्थर की मूर्ति का नवीनीकरण किया गया है।
- यह प्रतिमा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) में स्थित है।
- मध्य प्रदेश में INTACH(Indian National Trust for Art and Cultural Heritage) द्वारा शुरू की गई यह पहली संरक्षण और नवीनीकरण परियोजना है।
- इस प्रतिमा को लोकप्रिय रूप से 'शेष शैय्या' के रूप में जाना जाता है।
- इसकी मूर्तिकला, कलचुरी काल (8 वीं शताब्दी, भारत के मध्य भाग में राष्ट्रकूटों के सामंत) से संबंधित है।

'चौरी चौरा' घटना की शताब्दी('Chauri Chaura' Centenary)

हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी-चौरा कांड के सौ साल पूरे होने पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि दी।

'चौरी चौरा' कांड क्या है?

- यह घटना ब्रिटिश भारत के अंतर्गत संयुक्त प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश) के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा (Chauri Chaura) में घटित हुई थी।
- इस घटना के दौरान, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
- इसकी जवाबी कार्रवाई में, प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमे आग लगा दी, जिसमें थाने में उपस्थित सभी कर्मियों की मौत हो गयी।
- इसकी प्रतिक्रिया में, हिंसा के सख्त खिलाफ रहने वाले महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थगित कर दिया।

पृष्ठभूमि:

- 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा सरकार के खिलाफ 'असहयोग आंदोलन' का आरंभ किया गया था।
- इस आंदोलन में, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं- विशेष रूप से मशीन-निर्मित वस्त्रों, कानूनी, शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थानों का बहिष्कार करना, अर्थात "कुशासन करने वाले शासक का हर तरह से असहयोग करना' शामिल था।

महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया:

महात्मा गांधी ने पुलिसकर्मियों की हत्या किए जाने की निंदा की।

CAREER PLUS

- "वास्तविक सहानुभूति" प्रदर्शित करने और प्रायश्चित करने के लिए एक 'चौरी चौरा सहायता कोष' की स्थापना की गई थी।
- गांधी ने 'कांग्रेस कार्यसमिति' को इस मामले में अपनी मर्जी की आगे झुकने पर विवश किया और 12 फरवरी, 1922 को 'असहयोग आंदोलन' को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया।

जवाहरलाल नेहरू और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अन्य नेता इस बात से हैरान थे कि, जब स्वतंत्रता आंदोलन में नागरिक प्रतिरोध की स्थिति मजबूत हो रही थी, और ऐसे में गांधीजी ने संघर्ष को रोक दिया था।

- मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जैसे नेताओं ने गांधी के फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की और 'स्वराज पार्टी' की स्थापना का फैसला किया।
- असहयोग आंदोलन के निलंबन के परिणामस्वरूप हुए कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों का आंदोलन से मोहभंग हो गया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में अहिंसा के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को खत्म नहीं किया जा सकता।

सोवा-रिग्पा(Sowa -Rigpa)

- यह भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है।
- इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस जैसे देशों में लोकप्रिय रूप से प्रचलित है।
- सोवा-रिग्पा के अधिकांश सिद्धांत और व्यवहार "आयुर्वेद" के समान है।
- तिब्बत के 'युथोग योंटेन गोंपो' (Yuthog Yonten Gonpo) को 'सोवा रिग्पा' का जनक माना जाता है।

सोवा-रिग्पा के मूल सिद्धांत को निम्नलिखित पांच बिंदुओं के संदर्भ में समझा जा सकता है:

1. बीमारी की स्थिति में शरीर को उपचार के केंद्र के रूप में
2. एंटीडोट यानी इलाज
3. एंटीडोट के माध्यम से उपचार की विधि
4. रोग को ठीक करने वाली औषधि
5. मटेरिया मेडिका, फार्मेसी और फार्माकोलॉजी

आसियान समूह(ASEAN)

भारत की घरेलू उत्पादों के लिए बाजार तक अधिक पहुंच की सुनिश्चित करने हेतु, भारत एवं आसियान क्षेत्रों के बीच 'वस्तु व्यापार' हेतु 'मुक्त व्यापार समझौता' (Free - Trade Agreement – FTA) की समीक्षा शुरू करने के लिए 10 देशों के संगठन 'आसियान' (ASEAN) के साथ वार्ता जारी है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA):

- 'मुक्त व्यापार समझौता' दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता होता है।
- एक मुक्त व्यापार नीति के तहत, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार- वस्तुओं और सेवाओं को बिना किसी बाधा के बहुत कम या बिना किसी सरकारी शुल्क, कोटा, सब्सिडी के खरीदा और बेचा जा सकता है।
- मुक्त व्यापार की अवधारणा, व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत होती है।

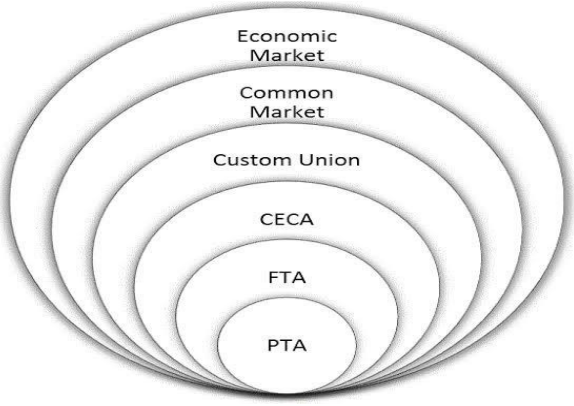

आसियान के बारे में:

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN) अर्थात 'आसियान' एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना एशिया-प्रशांत क्षेत्र के उत्तर-औपनिवेशिक देशों के मध्य बढ़ते हुए तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु की गई थी।

- **आसियान का आदर्श वाक्य:** "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय" (One Vision, One Identity, One Community)
- **आसियान का सचिवालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया।

उत्पत्ति (Genesis):

आसियान का गठन वर्ष 1967 में इसके संस्थापक सदस्यों द्वारा आसियान घोषणा (**बैंकॉक घोषणा**) पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ था।

- **आसियान के संस्थापक सदस्य**: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
- **आसियान के दस सदस्य**: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

भारत के लिए आसियान का महत्व:

लद्दाख गतिरोध सहित चीन के आक्रामक रवैए की पृष्ठभूमि में, भारत द्वारा 'आसियान' को '**भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (India's Act East policy)** के केंद्र में रखा गया है। भारत का मानना है, कि इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास हेतु एक संसक्त एवं उत्तरदायी 'आसियान' का होना आवश्यक है।

- '**क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास' (Security And Growth for All in the Region– SAGAR)** अर्थात 'सागर' विजन की सफलता के लिए आसियान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
- कोविड-19 महामारी का अंत होने के बाद, आर्थिक सुधार हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और लचीलेपन के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है।
- आसियान, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तथा इसके साथ लगभग 9 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार होता है।

परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी(Nuclear Fusion Technology)

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने 'परमाणु संलयन ऊर्जा' (Nuclear Fusion Energy) के उत्पादन, अथवा 'सूर्य में होने वाली ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया' की नक़ल करने में एक नया मील का पत्थर हासिल करने का दावा किया है।

नया रिकॉर्ड:

- मध्य इंग्लैंड में ऑक्सफ़ोर्ड के नजदीक 'जॉइंट यूरोपियन टोरस' (JET) केंद्र में वैज्ञानिकों के दल ने दिसंबर माह में एक 'प्रयोग' के दौरान 59 मेगाजूल की लगातार ऊर्जा उत्पन्न करने में सफलता हासिल की, जोकि वर्ष 1997 में बनाए गए रिकॉर्ड के दोगुने से अधिक थी।
- संलयन ईंधन की एक किलो मात्रा में कोयले, तेल या गैस के एक किलोग्राम की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा होती है।

प्रयोग (The experiment):

यह ऊर्जा 'डॉनट' आकार के उपकरण (doughnut-shaped apparatus) 'टोकामक' (Tokamak) नामक मशीन में उत्पन्न की गयी थी और 'जॉइंट यूरोपियन टोरस' केंद्र, दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा क्रियाशील 'टोकामक' है।

- प्लाज्मा का निर्माण करने हेतु, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को सूर्य के केंद्र के तापमान से 10 गुना अधिक गर्म तापमान पर गर्म किया गया।
- चूंकि, टोकामक मशीन चक्कर काटती हुई तेजी से घूमती है, समस्थानिकों को फ़्यूज़ करती है और ऊष्मा के रूप में अत्यधिक उर्जा उत्सर्जित करती है, अतः इसे सुपरकंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग करके विशालकाय कुंड जैसे बर्तन में रखा जाता है।

इस उपलब्धि का महत्व:

- मानव लंबे समय से 'परमाणु संलयन' के माध्यम ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार से उत्पन्न उर्जा में कार्बन की

मात्र काफी निम्न होती है, और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने की तुलना में काफी सुरक्षित है और साथ ही तकनीकी रूप से 100% से भी अधिक कार्यक्षम हो सकती है।

- इसके अलावा, इन महत्वपूर्ण प्रयोगों का रिकॉर्ड और वैज्ञानिक डेटा, 'अंतर्राष्ट्रीय ताप-नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर' (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER) के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी हो सकते हैं।
- ITER, जॉइंट यूरोपियन टोरस' (Joint European Torus – JET) का बड़ा और अधिक उन्नत संस्करण है।

'अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर' के बारे में:

- 'अंतर्राष्ट्रीय ताप-नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर' (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER) संलयन ऊर्जा की वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में अनुसंधान एवं प्रदर्शन करने हेतु लिए फ्रांस के दक्षिण में स्थित एक संलयन अनुसंधान मेगा-प्रोजेक्ट है।
- ITER परियोजना सात सदस्यों – यूरोपीय संघ, चीन, भारत, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्त पोषित तथा संचालित की जा रही है।

ITER के कार्य:

1. 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा का उत्पादन करना।
2. संलयन ऊर्जा संयंत्र (fusion power plant) के लिए प्रौद्योगिकियों के एकीकृत परिचालन का प्रदर्शन करना।
3. ड्यूटेरियम-ट्रिटियम प्लाज्मा को हासिल करना, जिसमें आंतरिक ताप के माध्यम से सतत अभिक्रिया होती है।
4. ट्रिटियम ब्रीडिंग (Tritium Breeding) का परीक्षण करना।
5. संलयन उपकरण (Fusion Device) की सुरक्षा विशेषताओं का प्रदर्शन करना।

संलयन क्या होता है?

संलयन (Fusion), **सूर्य तथा अन्य तारों का ऊर्जा स्रोत है।** इन तारकीय निकायों के केंद्र में अत्याधिक ऊष्मा तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण, हाइड्रोजन नाभिक परस्पर टकराते हैं, इसके परिणामस्वरूप हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर भारी हीलियम अणुओं का निर्माण करते हैं जिससे इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती हैं।

प्रयोगशाला में संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक तीन शर्तें:

1. बहुत उच्च तापमान (150,000,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक)
2. उचित प्लाज्मा अणु घनत्व (अणुओं के परस्पर टकराव की संभावना में वृद्धि के लिए)
3. उपयुक्त परिरोध समय (प्लाज्मा को रोकने के लिए)

सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT)

यूक्रेन मामले पर पर वाशिंगटन और मॉस्को के बीच बढ़ते तनाव के बीच, राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अंतिम उपाय के रूप में, रूस को 'सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन' अर्थात 'स्विफ्ट' (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT) से बाहर कर सकता है।

SWIFT से निष्कासित किए जाने के बाद की स्थिति:

यदि किसी देश को सबसे अधिक भागीदारी वाले वित्तीय सुविधा मंच अर्थात 'सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन' अर्थात 'स्विफ्ट' से बाहर रखा जाता है, तो इससे संबधित देश की विदेशी फंडिंग प्रभावित होगी, और वह देश पूरी तरह से घरेलू निवेशकों

पर निर्भर हो जाएगा। वर्तमान में, संस्थागत निवेशक लगातार नए क्षेत्रों में नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं, तब ऐसे में SWIFT से निष्कासन विशेष रूप से परेशानी की बात है।

SWIFT क्या है?

स्विफ्ट (SWIFT), वित्तीय संस्थानों द्वारा एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से 'सूचना एवं निर्देशों' को सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला एक मैसेजिंग नेटवर्क है। SWIFT के तहत, प्रत्येक वित्तीय संगठन का एक विशिष्ट कोड होता है, जिसका उपयोग भुगतान भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

- SWIFT के अंतर्गत वित्त-अंतरण (फंड ट्रांसफर) की सुविधा नहीं होती है, बल्कि, इसके जरिये 'भुगतान आदेश' (payment orders) भेजे जाते हैं। ये 'भुगतान आदेश' एक दूसरे के साथ व्यापार करने वाले संस्थानों के बीच जारी किए जाते है।
- SWIFT एक सुरक्षित 'वित्तीय संदेश' वाहक होता है – दूसरे शब्दों में, यह संदेशों को एक बैंक से इच्छित बैंक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है।

इसकी मुख्य भूमिका, एक सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल प्रदान करना है ताकि बैंक A को पता चले कि बैंक B को भेजा गया उसका संदेश, बैंक B को ही प्राप्त हुआ है और किसी अन्य के लिए नहीं। दूसरी ओर, बैंक B जानता है कि निर्दिष्ट संदेश बैंक A द्वारा ही भेजा गया है, और मार्ग में इस संदेश को किसी ने भी पढ़ा या बदला नहीं है। स्वभावतः, संदेश भेजने से पहले बैंकों को निश्चित रूप से जांच-प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत होती है।

SWIFT की अवस्थिति:

'सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन' (S SWIFT) का मुख्यालय बेल्जियम में है, और यह 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 11,000 से अधिक बैंकिंग और प्रतिभूति संगठनों को आपस में जोड़ता है।

SWIFT का प्रशासन:

- यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और स्वीडन के G-10 केंद्रीय बैंकों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका प्रमुख निरीक्षक (ओवरसियर) 'नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम' है।
- 2012 में 'स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम' की स्थापना की गयी थी। G-10 प्रतिभागियों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की गणराज्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के केंद्रीय बैंक इस फोरम में शामिल हैं।

SWIFT इंडिया:

'स्विफ्ट इंडिया' शीर्ष भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों एवं 'सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन' (SWIFT) का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी को भारतीय वित्तीय समुदाय को उच्च गुणवत्ता वाली घरेलू वित्तीय संदेश सेवाएं देने के लिए बनाया गया था। इस उद्यम में, वित्तीय समुदाय के लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने की काफी संभावनाएं हैं।

SWIFT का महत्व:

- स्विफ्ट के ग्राहकों द्वारा भेजे गए संदेशों को इसकी विशेष सुरक्षा और पहचान तकनीक का उपयोग करके प्रमाणित किया जाता है।
- संदेशों के ग्राहक के पारितंत्र से बाहर जाते ही, इनमे 'एन्क्रिप्शन' (Encryption) जोड़ दिया जाता है।
- ये संदेश SWIFT के माध्यम से ऑपरेटिंग केंद्रों (OPCs) को प्रेषित किए जाते हैं जहां उन्हें संसाधित किया जाता है, और संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान – जब तक कि वे सुरक्षित रूप से रिसीवर तक नहीं पहुंच जाते- सभी संदेश 'अपनी सभी गोपनीयता और अखंडता प्रतिबद्धताओं के अधीन' SWIFT संरक्षित वातावरण में रहते हैं।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-8

माधवाचार्य

श्री माधवाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में उडुपी के निकट तुलुव क्षेत्र के वेलीग्राम नामक स्थान पर विजया दशमी के दिन हुआ था, और उनका नाम वासुदेव रखा गया था।

- वे वेदों और पुराणों के युग के बाद भारतीय विचारों को प्रभावित वाले दार्शनिकों की त्रिमूर्ति में से तीसरे (अन्य दो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य) थे।
- उन्होंने द्वैत (Dwaita) या द्वैतवाद (Dualism) के दर्शन को प्रतिपादित किया।
- अच्युतप्रेक्ष (Achyutapreksha) ने ही उन्हें 'माधव' की उपाधि दी, और वे इसी नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए।

साहित्यिक रचनाएँ: उन्होंने विभिन्न ग्रंथ लिखे, जिनमे उनके तत्ववाद दर्शन की विस्तृत व्याख्या की गयी है। 'तत्ववाद' को लोकप्रिय रूप से 'द्वैत दर्शन' के रूप में जाना जाता है। गीता भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, अनु भाष्य, कर्म निर्णय और विष्णु तत्त्व निर्णय उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

'द्वैत दर्शन' के बारे में:

- द्वैत दर्शन (Dvaita philosophy) का मूल सिद्धांत श्री शंकर के मायावाद का खंडन है। द्वैत दर्शन में इस बात पर जोर दिया गया है कि दुनिया केवल एक भ्रम मात्र नहीं है, बल्कि एक हकीकत है।
- आत्मा, अज्ञान के माध्यम से इस संसार से बंधी है।
- आत्मा के लिए इस बंधन से मुक्त होने का तरीका, श्री हरि की कृपा प्राप्त करना है।
- श्री हरि तक पहुंचने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है।
- भक्ति का अभ्यास करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है।
- ध्यान करने के लिए पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करके मन को साफ करना और वैराग्य प्राप्त करना आवश्यक है।

CAREER PLUS